टी0ए0 मिस केस सं0 96/2019-20

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
21/08/19	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक रोहित सागर बोदरा, पिता– स्व0 सुरेश बोदरा, ग्राम– तमाड़बाँध, थाना– मुफ्फसिल, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– तमाड़बाँध, थाना– 125, खाता नं0– 20 एवं 37, प्लॉट नं0– 991 एवं 792, क्रमशः रकवा– 0.04¼ एवं 0.06¼ कुल रकवा– 0.10½ एकड़ भूमि क्रेता राना प्रताप सिंह बारी, पिता– श्री लुकना बारी, ग्राम– छोटा खुँटा, थाना– मुफ्फसिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत कियां गया। दास्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के पिता के नाम पर नामांतरण मु0 सं0– 2/2019–20 एंव 37/2012–13 द्वारा नामांतरित है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक– 509,दिनांक–. 26.07.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ईलाज एंव अन्य खर्च हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता राना प्रताप सिंह बारी, पिता– श्री लुकना बारी, ग्राम– छोटा खुँटा, थाना– मुफ्फसिल, के पास 3,50,000.00/–(तीन लाख पचास हजार) रूपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना मुफ्फसिल के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.50 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति प्रर्याप्त है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक रोहित सागर बोदरा, पिता– स्व0 सुरेश बोदरा, ग्राम– तमाड़बाँध, क्रेता राना प्रताप सिंह बारी, पिता– श्री लुकना बारी, ग्राम– छोटा खँटा, थाना– मुफ्फसिल के 3,50,000.00/–(तीन लाख पचास हजार) रूपये मे मौजा– तमाड़बाँध, थाना– 125, खाता नं0– 20 एवं 37, प्लॉट नं0– 991 एवं 792, क्रमशः रकवा– 0.04¼ एंव 0.06¼ कुल रकवा– 0.10½ एकड भूमि को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति ....दी जाती है। लेखापित। (हस्ताक्षर) 21/8 भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा। (हस्ताक्षर) 21/8/19 भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।	

//D:/Niraj All Work:// 1 TA MISS ORDER

Scanned with CamScanner